2

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

सीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

पत्र अन्तर्गत धाराः- 88 आर.टी.ए.

रण संख्याः- 547/2025

1 औंकार सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह, जाति राजपूत निवासी जोड़किया, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 रोहिताश सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी जोड़किया, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-ःवादीगण

बनाम्

1 लदवन्ती कंवर पत्नी श्री लूण सिंह जाति राजपूत निवासी जोड़किया, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 गोविन्द सिंह पुत्र श्री लूण सिंह जाति राजपूत निवासी जोड़किया, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 जयश्री कंवर पुत्री श्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी जोड़किया, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4 भगन कंवर पत्नी श्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी जोड़किया, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5 लीलावर्ती पुत्री श्री लूण सिंह जाति राजपूत निवासी जोड़किया, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6 कमला कंवर पुत्री श्री लूण सिंह जाति राजपूत निवासी जोड़किया. तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7 विमल कंवर पुत्री श्री लूण सिंह जाति राजपूत निवासी जोड़किया, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

8 सम्पत कंवर पुत्री श्री लूण सिंह जाति राजपूत निवासी जोड़किया, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

9 संतोष पुत्री श्री लूण सिंह जाति राजपूत निवासी जोडकिया, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

-ःप्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री विक्रम सिंह - अधिवक्ता वादीगण
2. श्री तरसेम सिंह - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 9
3. राज पैरोकार

-ःनिर्णयः-

दिनांक 05.01.2026

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण का प्रमाणित व पंजीकृत पता वाद पत्र के शीर्षक में दर्ज अनुसार सही है।

वादपत्र के तथ्यों को सरलतापूर्वक समझने के लिए वादीगण व प्रतिवादीगण का सजरा खानदान वाद पत्र में अंकित किया है।

यह कि वादीगण की दादी प्रतिवादिया सख्या 1 के नाम से चक 1 जेआरके तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 109/105 के पत्थर नंबर 114/243 (30) किला नंबर 2 से 9,

नंबर 115/243 (29) किला नंबर 6 से 25 कुल तादादी 6.249 हैक्टेयर भूमि में दिया संख्या 1 के नाम 5583/41660 हिस्सा यानि 0.837 हैक्टेयर व इसी चक के खाता 126/113 के पत्थर नंबर 111/242 (21) किला नंबर 3 से 8, 13 से 18, 23 से कुल 3.795 हैक्टेयर में प्रतिवादिया सख्या 1 के नाम 371/2530 हिस्सा यानि 0.556 र दर्ज राजस्व अभिलेख है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वादपत्र है।

यह कि वादपत्र की चरण सख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति है जो वादीगण के श्री लूण सिंह से वादीगण व प्रतिवादीगण को विरास्तन प्राप्त हुई है। वादीगण व प्रतिवादीगण 3 व 4 के पिता/पति श्री सुमेर सिंह का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादिया संख्या 1 के नाम वादपत्र की चरण सख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 9 जन्मतः हक व हिस्सा है। जिसका वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अर्सा दराज पूर्व घराघरू ारा किया हुआ है। मुताबिक घराघरू बंट्वारा प्रतिवादिया सख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि ीगण व प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त हुई है। मुताबिक घराघरू बंट्वारा प्रतिवादिया सख्या 1 के दर्ज कृषि भूमि में प्रतिवादीगण सख्या 3 से 9 द्वारा अपने हक व हिस्सा अनुसार कृषि भूमि हक त्याग मौखिक रूप से वादीगण व प्रतिवादी सख्या 2 के पक्ष में किया हुआ है, वे उक्त कृ भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते है। मुताबिक घरू बंट्वारा चक 1 जेआरके सील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 109/105 कुल तादादी 6.249 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादिया ख्या 1 के नाम दर्ज 5583/41660 हिस्सा यानि 0.837 हैक्टेयर में वादीगण को बहिस्सा ाबर 0.351 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 0.486 हैक्टेयर तथा इसी चक के खाता संख्या 26/113 के पत्थर नंबर 111/242 (21) किला नंबर 3 से 8, 13 से 18, 23 से 25 कुल .795 हैक्टेयर में प्रतिवादिया सख्या 1 के नाम दर्ज 371/2530 हिस्सा यानि 0.556 हैक्टेयर ादीगण को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है तथा इसी अनुसार कब्जा काश्त में है लेकिन यह कृषि ूमि उक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण के साम्पतिक ाधिकारो पर कुठाराघात हो रहा है तथा वादीगण के खातेदारी हकूको पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण वादीगण इस आशय की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है कि चक 1 जेआरके तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 109/105 कुल तादादी 6.249 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादिया संख्या 1 के नाम दर्ज 5583/41660 हिस्सा यानि 0.837 हैक्टेयर में वादीगण बहिस्सा बराबर 0.351 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 0.486 हैक्टेयर तथा इसी चक के खाता संख्या 126/113 के पत्थर नंबर 111/242 (21) किला नंबर 3 से 8, 13 से 18, 23 से 25 कुल 3.795 हैक्टेयर में प्रतिवादिया संख्या 1 के नाम दर्ज 371/2530 हिस्सा यानि 0.556 हैक्टेयर के वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा इस आशय की प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा इन दोनो खातो से प्रतिवादिया संख्या 1 का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी है।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से अर्सा सात दिवस पूर्व निवेदन किया कि वे वादपत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादिया सख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को उक्तानुसार खातेदार होना स्वीकार कर लेवें लेकिन वे इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

यह कि वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि तहसील हनुमानगढ़ में स्थित है इसलिए वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वादपत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें–

उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

कि घोषणा फरमाई जावें कि चक 1 जेआरके तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 109/105 तादादी 6.249 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादिया संख्या 1 के नाम दर्ज 5583/41660 हिस्सा 0.837 हैक्टेयर में वादीगण को बहिस्सा बराबर 0.351 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 486 हैक्टेयर तथा इसी चक के खाता संख्या 126/113 के पत्थर नंबर 111/242 (21) किला 3 से 8, 13 से 18, 23 से 25 कुल 3.795 हैक्टेयर में प्रतिवादिया सख्या 1 के नाम 371/2530 हिस्सा यानि 0.556 हैक्टेयर वादीगण को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है तथा इस शय की पुष्टि राजस्व अभिलेख में की जावे आदि आदि कथन कर वाद पत्र पेश किया गया।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी 1 ता 9 की ओर से अधिवक्ता तरसेम सिंह उपस्थित। वादी एंव प्रतिवादी सं. 1, 3 ता 9 जवाबदावा सहमति का पेश किया व प्रतिवादी सं. 2 द्वारा जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश किा गया। वाद पत्र कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक सहमति के मय डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है कि:- चक 1 जेआरके तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 109/105 कुल तादादी 6.249 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादिया संख्या 1 के नाम दर्ज 5583/41660 हिस्सा यानि 0.837 हैक्टेयर में वादीगण को बहिस्सा बराबर 0.351 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 0.486 हैक्टेयर तथा इसी चक के खाता संख्या 126/113 के पत्थर नंबर 111/242 (21) किला नंबर 3 से 8, 13 से 18, 23 से 25 कुल 3.795 हैक्टेयर में प्रतिवादिया संख्या 1 के नाम दर्ज 371/2530 हिस्सा यानि 0.5565 हैक्टेयर का वादीगण को बहिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 का नाम दलमजन किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा दावाकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ